

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/168 दायर दिनांक 5/9/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट

उनवान- कारीबाई पुत्री मदनलाल भील नि० खांदलखेडी तहसील सुनेल
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़ राज०

-: आदेश :- दिनांक 5/9/2023

प्रार्थीया कारीबाई पुत्री मदनलाल भील नि० खांदलखेडी तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खांदलखेडी पटवार मण्डल सामरिया तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खाता संख्या 18 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम खांदलखेडी पटवार मण्डल सामरिया तहसील सुनेल	18	कालीबाई	कारीबाई

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)
दिनांक 5/9/23

क्रमांक:- राजस्व/2023/168

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)
पिड़ावा, जिला झालावाड़

